मुंबई की आरे कॉलोनी पर लड़ाई

लेखक - लक्ष्मण सिंह (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

08 अक्टूबर, 2019

"सुप्रीम कोर्ट ने उस प्लॉट पर पेड़ों की कटाई की रोक लगा दी है, जहां मुंबई मेट्रो कार शेड बनाना चाहती है। सरकार का कहना है कि यह साइट सबसे सुविधाजनक है और सरकार का साथ देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कार्यकर्ताओं की दलीलों को खारिज कर दिया है। आरे मिल्क कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का मामला है क्या?"

सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने सोमवार को आदेश दिया कि 'पेड़ों की कटाई के संबंध में फैसला सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बनाए रखी जाए।' इसका मतलब यह हुआ कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) प्रस्तावित कार शेड की साइट पर कोई और पेड़ नहीं काटा जा सकता, यह केवल परियोजना से संबंधित निर्माण गतिविधि के साथ आगे बढ़ सकता है।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया कि राज्य् सरकार की ओर से अब इस इलाके में कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। MMRCL ने वृहत्मुंबई महानगर पालिका के ट्री अथॉरिटी द्वारा 2,185 पेड़ काटने और 460 ट्रांसप्लांट करने की अनुमति दी थी।

अदालत ने निर्देश दिया कि पेड़ों की कटाई का विरोध करने पर गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा किया जाए। गिरफ्तार किए गए सभी 29 व्यक्तियों को रविवार रात को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

जस्टिस अरुण मिश्रा और अशोक भूषण की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले को 21 अक्टूबर के लिए अदालत की फॉरेस्ट बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? असल मुद्दा क्या है?

21 वर्षीय ग्रेटर नोएडा स्थित लॉ छात्र, ऋषव रंजन, ने रविवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को एक पत्र लिखा, जिसमें मुंबई के आरे कॉलोनी में 33 हेक्टेयर भूमि पर स्थित एमएमआरसीएल की कार शेड के लिए पेड़ों के काटने पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने यह तर्क दिया कि यह साइट मिठी नदी के किनारे पर स्थित है, जिसमें कई चैनल और सहायक नदियाँ बहती हैं और 'प्रदूषणकारी उद्योग' के निर्माण से मुंबई में बाढ़ आ सकती है। अदालत ने पत्र को जनहित याचिका (PIL) के रूप में स्वीकार कर लिया और विशेष पीठ का गठन किया।

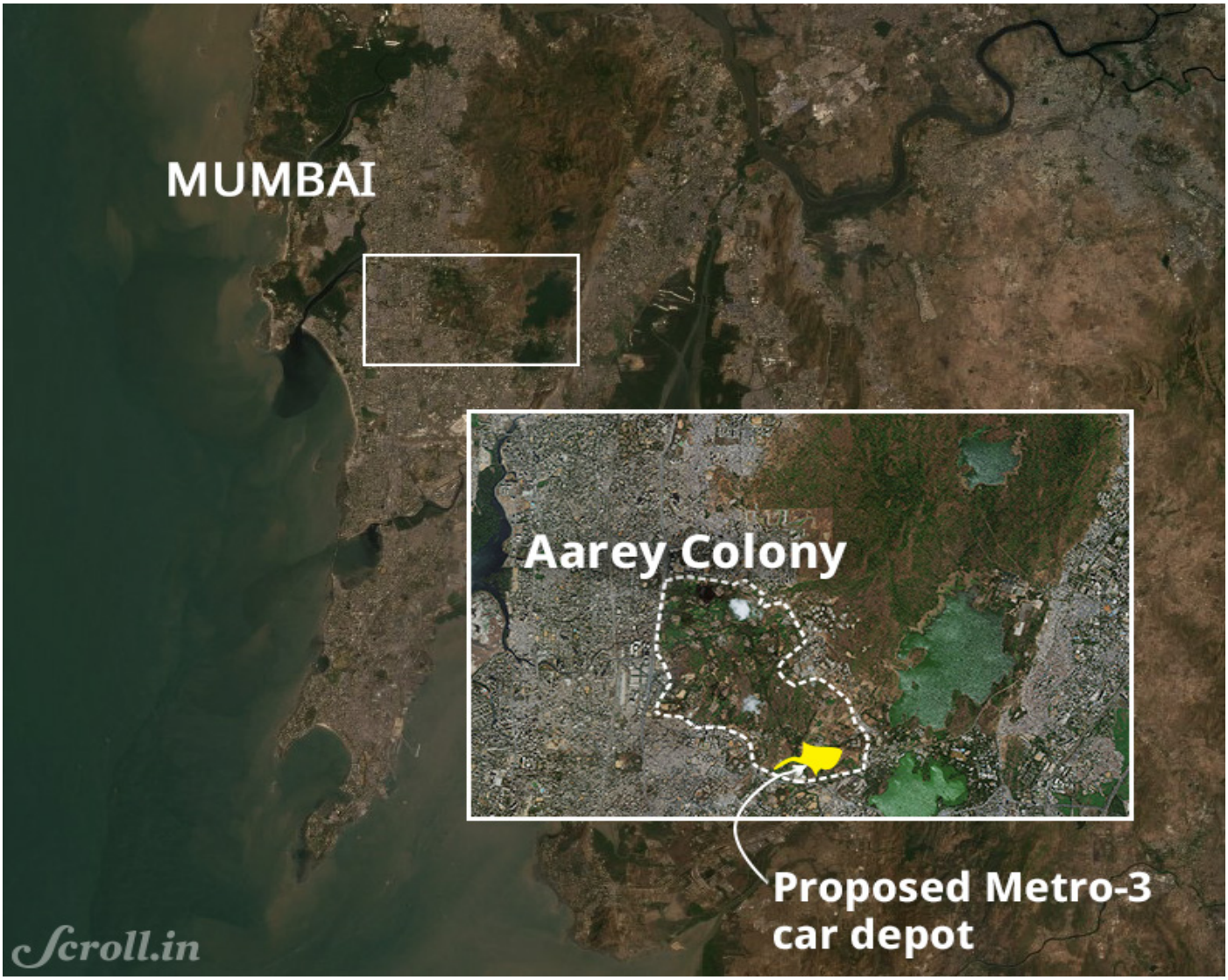

मेट्रो कार शेड को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच तनातनी 2014 से जारी है। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरे में पेड़ों को काटने के फैसले को चुनौती देने वाली चार याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने बीएमसी ट्री अथॉरिटी की पेड़ की कटाई की अनुमति के औचित्य और वैधता पर सवाल उठाया था और आरे को बाढ़ का मैदान और जंगल घोषित करने के लिए कहा था। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि आरे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का एक विस्तार है और इसलिए यहाँ कार शेड के निर्माण से क्षेत्र के अधिक से अधिक व्यावसायिक शोषण का मार्ग प्रशस्त होगा।

मेट्रो यहां कार शेड क्यों चाहती है?

MMRCL का तर्क है कि यह भूमि राज्य की है - यह डेयरी विकास विभाग के पास है - और इसलिए, नागरिकों के शून्य अतिरिक्त लागत के साथ अधिग्रहण की लंबी, मुश्किल और महंगी प्रक्रिया से बचा जा सकता है।

आरे एसईईपीजेड से 800 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो 33.5 किलोमीटर के कोलाबा-एसईईपीजेड लाइन के अंतिम स्टेशन पर है - जहां से सबसे अधिक दूरी पर परिचालन तेजी से किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में, डिपो को वैकल्पिक साधनों द्वारा परिचालन कर्मचारियों के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए।

कार्यकर्ता चाहते हैं कि डिपो कांजुरमार्ग में हो, जो एसईईपीजेड से 10 कि.मी. दूर है। इस साइट पर भूमि के अधिग्रहण से 23,000 करोड़ रुपये की मेट्रो लाइन-3 परियोजना (कोलाबा-एसईईपीजेड लाइन, जिसे कार शेड द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी) की लागत में 5,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। यह परियोजना में देरी भी करेगा और लागत में भी इजाफा करेगा।

इससे पहले, सरकार ने कहा था कि कांजुरमार्ग स्थल पर मुकदमा चल रहा था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने मामले पर बहस करते हुए, सरकार ने कहा कि साइट का उपयोग एक अलग मेट्रो लाइन के डिपो के लिए किया जाएगा।

आरे स्थल पर किस प्रकार की सुविधा प्रस्तावित है?

प्रस्तावित कार शेड में धुलाई, रखरखाव और मरम्मत कार्य की सुविधाएं होंगी। रेलवे कार शेड एक 'रेड श्रेणी' उद्योग है, जो प्रदूषण के उच्चतम स्तर का कारण बनता है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि शेड में होने वाली गतिविधियों से तेल, ग्रीस और इलेक्ट्रिक कचरा पैदा होता है, इसके अलावा एसिड और पेंट जैसी खतरनाक सामग्री भी इससे उत्पन्न होती है। वे कहते हैं कि ये प्रदूषण मिट्टी में पानी के साथ शामिल हो जाएगा, जिससे मिटटी और भूजल दोनों प्रदूषित हो जाएगा। इसके अलावा, डिपो के निर्माण से भूजल संसाधनों का शोषण बढ़ेगा।

इस पर MMRCL का कहना है कि यह किसी भी तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए तंत्र स्थापित करेगा। नदी तट पर रेड श्रेणी के उद्योगों की स्थापना पर मौजूदा प्रतिबंध 2015 में निरस्त कर दिया गया था।

परियोजना की पर्यावरणीय लागत के बारे में क्या तर्क है?

जीशान ए मिर्जा और राजेश सनाप जैसे शोधकर्ताओं द्वारा तैयार 'आरे मिल्क कॉलोनी और फिल्म सिटी की जैव विविधता' पर एक रिपोर्ट के अनुसार, यह क्षेत्र तितली की 86 प्रजातियों, मकड़ी की 90 प्रजातियों, बारहसिंगों की 46 प्रजातियों, वाइल्डफ्लावर की 34 प्रजातियों और नौ तेंदुओं का घर है।

बीएमसी की जनगणना के अनुसार, आरे में लगभग 4.5 लाख पेड़ हैं, जिसे मुंबई के ग्रीन फेफड़े के रूप में वर्णित किया गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरे डिपो प्लॉट मीठी का एकमात्र जीवित प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र है, जिसके निर्माण और पेड़ों की कटाई के माध्यम से छेड़-छाड़ मानसून के दौरान अधिक बाढ़ का कारण बन सकता है।

हालांकि, प्रस्तावित कार शेड केवल 33 हेक्टेयर में स्थापित किया जाएगा, जो कि ग्रीन बेल्ट के 1,278 हेक्टेयर में से बमुश्किल 2% ही है। एमएमआरसीएल ने कहा है कि इस 33 हेक्टेयर के भूखंड से परे, आरे के कोई अन्य हिस्से के साथ छेड़-छाड़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि साइट तीन तरफ से सड़क द्वारा सुलभ है।

इसके अलावा, सप्ताहांत में काटे गये पेड़ कार शेड के लिए चुने गए भूमि के केवल 17% हिस्से पर खड़े थे। MMRCL ने कहा है कि 60% पेड़ गैर-देशी और विदेशी हैं और इसे देशी प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

सेंट जेवियर्स कॉलेज में वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉ. राजेंद्र शिंदे की एक रिपोर्ट के अनुसार, साइट पर 87 पेड़ों में से 36 प्रजातियां स्वदेशी थीं - इनमें धमान (502), सेहमत (445, मैंगो (82), महुआ (21), पलाश (8), तेंदू (8), वड (3), टीक (1) और बेहडा (1) शामिल हैं। उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में निम्नलिखित गैर देशी प्रजातियों का उल्लेख किया गया है: सुबबुल (522), रेन ट्री (169) और गुलमोहर (26)।

MMRCL ने तर्क दिया है कि समग्र कार्बन फुटप्रिंट को कम करके मेट्रो भारी पर्यावरणीय लाभ प्रदान करेगी: ऐसा अनुमान है कि सात दिनों तक मेट्रो का संचालन एक साल में 2,700 पेड़ों द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगी।

वन के रूप में क्षेत्र के वर्गीकरण पर विवाद क्या है?

2015 में, एनजीओ वंशशक्ति के स्टालिन डी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में एक याचिका दायर करके आरे को 'जंगल' घोषित किये जाने के बारे में कहा। हालांकि, याचिका को सितंबर 2018 में खारिज कर दिया गया था।

2017 में आरे कंजर्वेशन ग्रुप की अमृता भट्टाचार्जी द्वारा एक और याचिका दायर की गई, जिसमें नो डेवलपमेंट जोन से मेट्रो कार शेड तक आरे के लैंड यूज यानी भूमि के उपयोग में बदलाव को रोकने की मांग की गई थी। उस याचिका को 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने सरकार के नोटिफिकेशन को भूमि उपयोग को बदलते हुए बरकरार रखा।

भट्टाचार्जी और स्टालिन दोनों ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अवकाश याचिकाएं दायर कीं। इन याचिकाओं को अब रिशव रंजन की याचिका के साथ 21 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो कार शेड परियोजना पर पर्यावरणीय कारण से रोक लगा दिया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. PM 2.5 और PM 10 की मात्रा वायु में अधिक होने के कारण इस पर रोक लगाया गया।
2. इस परियोजना से हो रही पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए इस पर रोक लगाया गया है।
3. ग्रेटर नोएडा निवासी लॉ छात्र ऋषभ रंजन के PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 केवल 3

(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Recently, the Supreme Court has banned the Mumbai Metro car shed project due to environmental concern. In this context, consider the following statements:-**

1. It was banned due to increase in the quantity of PM 2.5 and PM 10 in air.
2. It is banned to prevent the felling of trees due to this project.
3. Supreme court has banned it on the PIL of a law student Rishav Ranjan a resident of Greater Noida.

Which of the statements given above are correct?

(a) 1 and 2 (b) 2 and 3

(c) 1 and 3 (d) None of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'आरे कालोनी के पेड़ कटान को लेकर हुआ विवाद पर्यावरण बनाम विकास की बहस को बढ़ाने वाला है।' आरे कालोनी विवाद के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करें। साथ ही विभिन्न पक्षों के तर्कों की भी चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

"The controversy over the falling of trees in the Aarey colony is going to give rise to a debate on environment versus development." Analyze this statement in the context of the Aarey colony dispute. Also discuss the arguments of different parties.

(250 Words)

नोट : 7 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।